रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 1988/अग्रहायण 16, 1910
No. 626] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 1988/AGRAHAYANA 16, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1988

सं. 31/88—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 1154(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और

संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में,—

(1) नियम 191क के उपनियम (17) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(19) निर्यात के सबूत के साथ रिबेट का दावा दाखिल करने के लिए समय की परिसीमा से संबंधित उपनियम (9) के सिवाय इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि उपनियम (1) के अधीन घोषित किसी वस्तु का निर्यात किया गया है तो वह, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, रिबेट के संपूर्ण दावे को या उसके किसी भाग को अनुज्ञात कर सकेगा।";

(2) नियम 191ख के उपनियम (5) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(5क) यदि कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि किसी विशिष्ट मामले में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उपनियम (2) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी शर्त को शिथिल कर सकेगा"।

[फा.सं. 209/43/88सी एक्स 6]
ए.के. प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 1988

No. 31/88-CENTRAL EXCISES (N. T.)

G. S. R. 1154(E) :—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Seventh Amendment) Rules, 1988.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944,–

(1) in rule 191A, after sub-rule (17), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(18) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this rule except sub-rule (9) relating to the time-limit for lodging claim for rebate together with proof of export, the Collector may, if he is satisfied that any article declared under sub-rule (1) has been exported, allow, for reasons to be recorded in writing, the whole or any part of the claim for rebate.".

(2) in rule 191B, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5A) The Collector, if he is satisfied that it is necessary or expedient so to do in a particular case, may for reasons to be recorded in writing, relax any of the conditions specified in the notification issued under sub-rule (2).".

[F. No. 209|43|88-Cx. 6]
A. K. PRASAD, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988